निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 भाद्र 1941 (श0)

(सं0 पटना 993) पटना, मंगलवार, 27 अगस्त 2019

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

अधिसूचना

24 अगस्त 2019

सं० **BSEB/SS/Coll/Estab/1269/D-19**—बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्ध माध्यमिक विद्यालय /उच्च माध्यमिक विद्यालय (+2 महाविद्यालयों) के कर्मियों की सेवाशर्त से संबंधित मार्गदर्शिका।

अध्याय–1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।–

(i) यह मार्गदर्शिका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबंद्ध माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों (+2 महाविद्यालयों) के कर्मचारियों की सेवाशर्त्त से संबंधित मार्गदर्शिका 2017 के रूप में जाना जाएगा।

(ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह विभागीय राजपत्र में अधिसूचित होने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

अध्याय –2

2. **परिभाषाएँ** – इस मार्गदर्शिका में, जब तक विषय या संदर्भ के विरूद्ध कोई बात न हो:–

(i) **''अधिनियम''** से अभिप्रेत है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम,1952;

(ii) **''अध्यक्ष''** से अभिप्रेत है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का अध्यक्ष;

(iii) **''निदेशक शैक्षणिक''** से अभिप्रेत है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का निदेशक शैक्षणिक;

(iv) **''सचिव''** से अभिप्रेत है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का सचिव;

(v) **''निदेशक''** से अभिप्रेत है माध्यमिक शिक्षा का निदेशक;

(vi) **''क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक''** से अभिप्रेत है राज्य के प्रमण्डलीय मुख्यालय में क्षेत्रीय उपनिदेशक स्तर का पदस्थापित पदाधिकारी;

(vii) **''जिला शिक्षा पदाधिकारी''** से अभिप्रेत है जिला स्तर पर शिक्षा विभाग का प्रभारी;

(viii) **''उप निदेशक''** से अभिप्रेत है मुख्यालय में शिक्षा विभाग के उप निदेशक;

(ix) **''राज्य अथवा सरकार''** से अभिप्रेत है शिक्षा विभाग, बिहार;

(x) ''मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय(+2 महाविद्यालय)/ माध्यमिक विद्यालय'' से अभिप्रेत है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अथवा विघटित बिहार इन्टरमीडिएट शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबंद्ध उच्च माध्यमिक/ माध्यमिक विद्यालय जो सरकार से अनुदान प्राप्त करता है, को पूर्वतन मान्यता प्राप्त/संबद्ध +2 विद्यालय अथवा इण्टर कॉलेज, उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में समझा जाएगा।

(xi) **''प्राचार्य''** से अभिप्रेत है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (निरसित बिहार इन्टरमीडिएट शिक्षा परिषद) से मान्यता प्राप्त अथवा संबद्ध उच्च माध्यमिक विद्यालय (+2 महाविद्यालय) के प्रधान के रूप में नियुक्त शिक्षक;

(xii) **''प्रधानाध्यापक''** से अभिप्रेत है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मान्यता प्राप्त अथवा संबंद्ध माध्यमिक विद्यालय के प्रधान के रूप में नियुक्त शिक्षक;

(xiii) **''शिक्षक''** से अभिप्रेत है माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु प्राचार्य/प्रधानाध्यापक सहित नियुक्त व्यक्ति;

(xiv) **''बी0एड0 डिग्री''** से अभिप्रेत है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम लागू होने के पूर्व मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से शिक्षण प्रशिक्षण अथवा अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से शिक्षण प्रशिक्षण की डिग्री;

(xv) **''शिक्षकेत्तर कर्मचारी वर्ग''** से अभिप्रेत है माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं अन्य शिक्षेत्तर कर्मी के रूप में शिक्षकों के अतिरिक्त नियुक्त व्यक्ति;

(xvi) **''प्रबन्ध समिति''** से अभिप्रेत है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मान्यता प्राप्त संबंद्ध माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधन हेतु प्रबंध समिति;

(xvii) **''स्थायी पद''** से अभिप्रेत है समय सीमा के बिना निर्धारित वेतनमान में स्वीकृत पद;

(xviii) **''अस्थायी पद''** से अभिप्रेत है सीमित अवधि के लिए नियत वेतन का पद;

(xix) **''कर्त्तव्य''** से अभिप्रेत है स्थायी आधार पर अथवा परिवीक्षा अथवा अस्थायी आधार पर स्वीकृत पद के विरूद्ध प्रदान की गई सेवा;

(xx) **''मास''** से अभिप्रेत है मास अथवा अंग्रेजी कैलेण्डर;

(xxi) **''परिवीक्षा''** से अभिप्रेत है स्वीकृत रिक्त संवर्ग पद पर प्राचार्य/ प्रधानाध्यापक/शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मी द्वारा परिवीक्षा पर की गई सेवा;

(xxii) **''प्रबंधक/संवाददाता''** से अभिप्रेत है विद्यालय के लिए इसकी ओर से कार्य करने हेतु सोसाइटी/न्यास द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति;

(xxiii) **''भाषा''** से अभिप्रेत है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाई जानेवाली भाषा, हिन्दी तथा अंग्रेजी।

द्रष्टव्य –1. **एक वचन वाचक शब्दों में बहुवचन अथवा विषर्ययेन भी सम्मिलित होगें।**
2. **पुलिंग वाची शब्दों में स्त्रीलिंग वाची शब्द भी सम्मिलित होगें।**

अध्याय –3

3. **नियुक्तियाँ।**–

(I) समूह 'घ' कर्मियों को छोड़कर सभी कोटियों में कर्मियों की सभी नियुक्तियाँ राज्य सरकार के पदक्रम के अनुसार प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा या तो सीधी नियुक्ति या प्रोन्नति के माध्यम हो, सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत निबंधित विद्यालय सोसाईटी/न्यास/शासी निकाय द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से ऐसी शर्तो के अनुसार, जैसा प्रबंध समिति विनिश्चित करे तथा जो कि बोर्ड/बिहार सरकार के मानक के संगत हो। समूह 'घ' कर्मियों की नियुक्ति विधिवत गठित चयन समिति के माध्यम से प्राचार्य/प्राधानाध्यापक द्वारा किया जाएगा।

(II) नियुक्ति हेतु प्रक्रिया। समूह 'घ' छोड़कर:–

(क) जब रिक्ति हो अथवा नवीन पद स्वीकृत किया जाए, तो प्राचार्य रिक्ति को भरने के लिए आवश्यक कारवाई करने हेतु प्रबंध समिति को एक टिप्पणी प्रस्तुत करेंगे। प्रबंध समिति सर्वप्रथम यह विनिश्चित करेगी कि पद को प्रोन्निति या सीधी नियुक्ति से भरा जाए एवं इस पर न्यास/सोसाइटी/शासी निकाय का अनुमोदन प्राप्त करेगी। मतभिन्नता की दशा में न्यास/सोसाईटी/शासी निकाय का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

(ख) यदि पद प्रोन्नति से भरा जाना हो, तो प्रबंध समिति द्वारा पद को भरे जाने हेतु उन सभी व्यक्तियों, जो विद्यालय की सेवा में हों एवं संवर्ग में ठीक निम्न पदक्रम में मौलिक नियुक्ति धारित करते हों तथा विहित अर्हताएँ और अनुभव आदि पूरी करते हों, उनकी सूची तैयार करायेगा।

(ग) सभी पात्र अभ्यर्थियों की योग्यता से संबंधित समस्त अभिलेखों, अनुभव एवं विगत तीन वर्षों की चरित्र पुस्ति सहित सूची समुचित चयन समिति के समक्ष इसकी अनुशंसा हेतु प्रस्तुत की जाएगी । चयन समिति की अनुशंसाओं को आदेश हेतु उचित/सक्षम नियुक्ति प्राधिकार के समक्ष रखा जाएगा।

(घ) यदि खुले विज्ञापन द्वारा पद को भरने का निर्णय लिया जाता है, तो पद (पदों) को राज्य सरकार के वर्तमान आरक्षण रोस्टर सहित समस्त विवरणी को देते हुए राज्य के कम से कम दो (एक हिन्दी और एक अंग्रेजी) अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जाएगा।

(ङ) प्रबंध समिति द्वारा प्राधिकृत सदस्य के पर्यवेक्षण में प्रत्येक पद हेतु समस्त अभ्यर्थियों से संबंधित सूचना सारणीबद्ध रूप में तैयार की जाएगी एवं प्रबंध समिति द्वारा गठित एक त्रि–सदस्यीय समिति द्वारा संवीक्षा किया जाएगा। अन्तर्वीक्षा के समय सारणीबद्ध रूप में यह सूचना संबंधित चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(च) चयन समिति उपलब्ध रिक्ति/रिक्तियों की संख्या के विरूद्ध चार से अधिक नामों को मिला कर योग्यतानुसार एक पैनल का निर्माण करेगी एवं इसे एक सीलबंद लिफाफे में विद्यालय प्रबंध समिति के सचिव को प्रस्तुत करेगी।

(छ) चयन समिति द्वारा तैयार किये गये पैनल पर न्यास/सोसाइटी/शासी निकाय का अनुमोदन प्राप्त करते हुए प्रबंध समिति पैनल से समान अनुक्रम अनुसार विद्यमान रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति हेतु आदेश करेगी। नियुक्ति पत्र प्रबंध समिति के सचिव के स्तर से निर्गत किया जाएगा।

(ज) यह पैनल सामान्यतया एक वर्ष तक मान्य रहेगा। प्रबंध समिति चाहे तो उसे समिति में निर्णय कर अधिकतम 3 वर्षो तक के लिए विस्तारित कर सकती है।

(III) पैनल निर्माण।–निम्नलिखित अंकों के आधार पर उच्च माध्यमिक शिक्षकों हेतु अलग से विषयवार पैनल बनाया जाएगाः

(i) उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों हेतुः–

(क) स्नातकोत्तर का कुल अंक – प्राप्त अंकों का प्रतिशत;

(ख) स्नातक का कुल अंक – प्राप्त अंकों का प्रतिशत;

(ग) उच्च माध्यमिक/इण्टरमीडियट/+2 परीक्षा का कुल अंक–प्राप्त अंकों का प्रतिशत;

(घ) माध्यमिक परीक्षा का कुल अंक–प्राप्त अंकों का प्रतिशत;

(ङ) बी०एड० का कुल अंक–प्राप्त अंकों का प्रतिशत;

ऊपर अंको के पाँचों प्रतिशत (%) के कुल योग को 5 से विभाजित किया जाएगा एवं प्राप्त परिणाम योग्यता अंक होगा । नियुक्ति के विषय/विषय समूह में प्रतिष्ठा के साथ स्नातक होने पर पाँच अतिरिक्त अंक योग्यता अंक में जोड़ा जाएगा।

माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमण होने की स्थिति में उत्क्रमण होनेवाले विद्यालय में कार्यरत निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों जिनका उस विद्यालय में कम से कम 5 वर्षो का शिक्षण अनुभव हो, को 5 अतिरिक्त अंक दिये जायेंगे।

(ii) माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों हेतु ।–

(क) स्नातक का कुल अंक –प्राप्त अंको का प्रतिशत;

(ख) उच्च माध्यमिक/इन्टरमीडिएट/+2 परीक्षा का कुल अंक –प्राप्त अंको का प्रतिशत;

(ग) माध्यमिक परीक्षा का कुल अंक –प्राप्त अंको का प्रतिशत;

(घ) बी०एड० का कुल अंक–प्राप्त अंको का प्रतिशत;

ऊपर अंको के 4 प्रतिशत (%) में कुल योग को 4 से विभाजित किया जाएगा एवं प्राप्त परिणाम योग्यता अंक होगा। नियुक्ति के विषय/विषय समूह में प्रतिष्ठा के साथ स्नातक होने पर पाँच अतिरिक्त अंक योग्यता अंक में जोड़ा जाएगा।

बी0एड0 योग्यताधारी एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित ''माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा'' में उत्तीर्ण अभ्यर्थी की ही नियुक्ति की जा सकेगी।

एक से अधिक अभ्यर्थी की समान योग्यता अंक होने की स्थिति में पहले जन्म तिथि वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। जन्म तिथि समान होने की स्थिति में नाम के पहले अक्षर के आधार पर तय किया जाएगा।

नोटः कार्यरत शिक्षक या शिक्षकेत्तर कर्मी के सेवा अवधि में निधन होने की स्थिति में उत्तराधिकारी/आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर निर्धारित योग्यता के अनुरूप शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी के पद पर उपलब्ध रिक्ति के विरूद्ध नियोजन किया जा सकेगा यदि वे स्पष्ट रूप से इसके लिए अपनी सहमति देते हैं। नियोजन में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अन्य शर्तो के आलोक में नियोजन प्रबंध समिति द्वारा किया जा सकेगा।

(IV) चयन समिति :–

(क) विद्यालय के प्रधान (प्राचार्य /प्रधानाध्यापक) की भर्ती के मामले में –

(i) सोसाइटी/न्यास का अध्यक्ष (सोसाइटी/न्यास के माध्यम से संचालित संस्थानों के लिए);

अथवा

शासी निकाय/प्रबंध समिति का अध्यक्ष (शासी निकाय प्रबंधित संस्थानों के लिए);

(ii) एक शिक्षाविद्, सोसाइटी/न्यास/शासी निकाय द्वारा नाम निर्देशित;

(iii) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रबंध समिति हेतु नामित व्यक्ति;

(iv) विद्यालय प्रशासन का अनुभव प्राप्त एक व्यक्ति, सोसाईटी/न्यास/ शासी निकाय द्वारा नाम निर्देशित,

(v) सोसाइटी/न्यास/शासी निकाय द्वारा नाम निर्देशित किसी अंगीभूत महाविद्यालय का प्राचार्य;

परंतु यह कि उपर्युक्त 5 सदस्यों में एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से एवं एक महिला सदस्य अवश्य ही होगें।

(ख) शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्ष की भर्ती के मामले में :–

(i) सोसाइटी/न्यास/शासी निकाय का अध्यक्ष

(ii) विद्यालय का प्रधान (प्राचार्य/प्रधानाध्यापक)

(iii) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रबंध समिति के लिए नामित व्यक्ति

(iv) एक विषय विशेषज्ञ, सोसाइटी/न्यास/शासी निकाय द्वारा नाम निर्देशित;

(v) सोसाइटी/न्यास/शासी निकाय द्वारा नाम निर्देशित किसी अंगीभूत महाविद्यालय के प्राचार्य;

परंतु यह कि उपर्युक्त 5 सदस्यों में एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से एवं एक महिला सदस्य अवश्य ही होगें।

(ग) लिपिकीय कर्मी/प्रयोगशाला सहायक की भर्ती के मामले में :–

(i) सोसाइटी/न्यास/शासी निकाय का अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित प्रबंध समिति का कोई सदस्य

(ii) विद्यालय का प्रधान (प्राचार्य /प्रधानाध्यापक)

(iii) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रबंध समिति के लिए नामित व्यक्ति;

(iv) सोसाइटी/न्यास/शासी निकाय द्वारा नाम निर्देशित किसी अंगीभूत महाविद्यालय का व्याख्याता;

परंतु यह कि उपर्युक्त 4 सदस्यों में एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से एवं एक महिला अवश्य ही संबंधित होगें।

(घ) समूह ''घ'' कर्मी की भर्ती के मामले में :–

(i) विद्यालय प्रधान (प्राचार्य /प्रधानाध्यापक);

(ii) सोसाइटी/न्यास/शासी निकाय द्वारा नाम निर्देशित विद्यालय प्रबंध समिति का कोई सदस्य;

(iii) सोसाइटी/न्यास/शासी निकाय द्वारा नाम निर्देशित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित एक सदस्य;

परंतु यह कि उपर्युक्त 3 सदस्यों में एक महिला सदस्य अवश्य ही होगें।

(V) चयन समिति की बैठक में गणपूर्ति, संबंधित समिति हेतु विनिर्दिष्ट संख्या से एक कम होगा परंतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रबंध समिति के लिए नामित सदस्य एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(VI) चयन समिति चयन हेतु स्वयं अपनी प्रक्रिया को विनियमित करेगी एवं किसी भी मामले में चयन समिति के सदस्यों के बीच किसी प्रकार के मत भिन्नता की स्थिति में न्यास/सोसाइटी/शासी निकाय द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

(VII) विद्यालय के प्रत्येक कर्मी की नियुक्ति इसके प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा। परंतुक, जहाँ चयन समिति द्वारा किया गया कोई भी चयन, विद्यालय की प्रबंध समिति को प्रतिग्राह्य नहीं हो तो वह ऐसे अस्वीकृति अपने कारण अभिलिखित करेगी एवं न्यास अथवा सोसाईटी अथवा शासी निकाय को विनिश्चयन हेतु निर्दिष्ट करेगी।

(VIII) इस मार्गदर्शिका के अध्यधीन अध्यपेक्षाओं के अनुरूप ही कर्मियों को नियुक्त किया जा सकेगा।

4. अध्यपेक्षाएँ।—

(क) **उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु** ।—मध्यमिक कक्षाओं के साथ संचालित प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य सहित कम से कम 20 शिक्षक होंगे। उनमें से माध्यमिक कक्षाओं के लिए आठ स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक (टी०जी०टी०) होगें— भाषा (दो शिक्षक), गणित (एक शिक्षक), प्राकृतिक विज्ञान (दो शिक्षक), सामाजिक विज्ञान (एक शिक्षक), शारीरिक शिक्षा (एक शिक्षक) एवं कला (एक शिक्षक)।

उच्च माध्यमिक कक्षाओं हेतु 11 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक (पी०जी०टी०)—भाषा (दो शिक्षक), गणित (एक शिक्षक), प्राकृतिक विज्ञान (तीन शिक्षक)—भौतिक—1, रसायन शास्त्र—1, जीव विज्ञान (प्राणी शास्त्र/वनस्पति शास्त्र—1), सामाजिक विज्ञान (दो शिक्षक), वाणिज्य विषय (दो शिक्षक) और कम्प्यूटर (एक शिक्षक)

प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय में पाँच शिक्षकेत्तर कर्मी (तकनीकी) होना चाहिए, जिसमें प्रयोगशाला तकनीशियन (तीन), कम्प्यूटर सहायक (एक) तथा पुस्तकालयाध्यक्ष (एक) सम्मिलित होगें। प्रशासनिक कार्य हेतु प्रत्येक विद्यालय में दो शिक्षकेत्तर (अन्य) कर्मी सदस्य —कार्यालय सहायक होगें। प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कम से कम चार समूह 'घ' कर्मचारी सदस्य केयरटेकर (एक), कार्यालय परिचारी (दो) एवं प्रहरी (एक) होगें।

परन्तु उच्च माध्यमिक कक्षाओं में किसी विषय जिसमें छात्रों का नामांकन 30 या उससे ज्यादा होगा और उस विषय के शिक्षक का पद स्वीकृत/नियुक्त नहीं होगें, उनमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से अनुमोदन प्राप्त कर प्रबंध समिति द्वारा पद स्वीकृत किया जा सकेगा एवं नियमानुसार शिक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी।

(ख) **माध्यमिक विद्यालयों हेतु** ।—प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक सहित कम से कम 11 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक (टी०जी०टी०) होंगे —भाषा (दो शिक्षक), गणित (एक शिक्षक), प्राकृतिक विज्ञान (2 शिक्षक) —भौतिकी/रसायन शास्त्र —1, जीव विज्ञान—1) सामाजिक विज्ञान (2 शिक्षक), शारीरिक शिक्षा (एक शिक्षक), कम्पयूटर (एक शिक्षक) एवं कला (एक शिक्षक)। प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में 4 शिक्षकेत्तर कर्मी (तकनीकि) होना चाहिए, जिनमें प्रयोगशाला तकनीशियन (2), कम्प्यूटर सहायक (एक) एवं पुस्तकालयाध्यक्ष (एक) सम्मिलित होगें। प्रशासनिक कार्य हेतु प्रत्येक विद्यालय में दो शिक्षकेत्तर (अन्य) सदस्य —कार्यालय सहायक होगें। प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में समूह 'घ' के तीन कर्मचारी होगें।

(ग) **पूर्व परिषद् (निरसित) से प्रस्वीकृत/अनुशंसित/स्थापना अनुज्ञा प्राप्त इन्टर महाविद्यालयों के लिए।**—परिषद् (निरसित) से प्रस्वीकृत प्राप्त इन्टर महाविद्यालयों के लिए वर्ष 1994 में राज्य सरकार के निदेशानुसार परिषद् निरसित से निर्गत् अधिसूचना के आलोक में प्रत्येक महाविद्यालय में प्रधानाचार्य के लिए एक पद के अतिरिक्त कला एवं विज्ञान में प्रत्येक प्रस्वीकृति प्राप्त विषयों में शिक्षक के एक—एक पद वाणिज्य में दो पद तथा अधिसूचना में शिक्षकेत्तर कर्मियों के विहित पदों के अनुरूप तृतीय वर्गीय कर्मियों के लिए कुल सात (07) पद तथा चतुर्थवर्गीय कर्मियों के लिए कुल आठ (08) पद, स्वीकृत माने जायेंगे। यदि पूर्व में निर्गत् निदेशों या छात्र संख्या बल के आधार पर किसी इंटर महाविद्यालय में यदि कला एवं विज्ञान के प्रस्वीकृति प्राप्त विषयों में शिक्षक द्वितीय पद पर निरसन के पूर्व से नियुक्त हैं, तो पूर्व से नियुक्त शिक्षकों के द्वितीय पद को भी स्वीकृत माना जायेगा। जिन 8 विषयों को विलोपित करते हुए मूल विषय में समाहित राज्य सरकार के निदेशानुसार किया गया है, उन मूल विषय में यदि पूर्व से दो शिक्षक नियुक्त हैं, तो उस मूल विषय में तीसरे पद को भी स्वीकृत माना जायेगा जिसपर विलोपित विषय के शिक्षक सामंजित होंगे, परन्तु उनके सेवानिवृति के साथ ही उस तीसरे पद को विलोपित माना जाएगा।

परिषद् (निरसित) से प्रस्वीकृति प्राप्त ऐसे विषय जिनमें प्रायोगिक परीक्षा ली जाती है, में प्रति प्रस्वीकृत विषय के लिए एक प्रयोगशाला तकनीशियन का पद स्वीकृत माना जाएगा। उच्च माध्यमिक स्तर पर वर्त्तमान में चल रहे पाठ्यक्रम में विषयों की संख्या कम कर दी गयी है परन्तु वर्त्तमान में छात्रों की संख्या बल में वृद्धि होती जा रही है। इन्टर महाविद्यालय में पूर्व से नियुक्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी एवं उनके पद का सामंजन वर्त्तमान में चल रहे पाठ्यक्रम के विषय में विषयानुसार माना जाएगा।

पूर्व से स्वीकृत पदों एवं निरसन के पूर्व से कार्यरत शिक्षकों की संख्या के आकलन के आधार पर छात्र संख्या के अनुरूप विषय विशेष में अतिरिक्त पद सृजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की सहमति प्राप्त करते हुए किया जा सकेगा। जिन प्रस्वीकृत महाविद्यालय/उच्च माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में किसी विषय में छात्र लगातार तीन वर्षो तक न्यून है, उस संस्था में उस विषय को विलोपित करते हुए पद स्वतः समाप्त समझा जाएगा।

5. **प्रशिक्षण**।–

(क) सभी प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक (इंटर महाविद्यालय) विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को मार्गदर्शिका लागू होने के तीन वर्षो के अन्दर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों से बी0एड0 की निर्धारित योग्यता प्राप्त करना अनिवार्यता होगी।

(ख) प्रशिक्षत करने की पूर्ण जबावदेही प्रबंधन समिति/संस्थान की होगी।

(ग) प्रशिक्षण की अवधि के लिए एकबार शिक्षकों को सवैतनिक अवकाश देय होगा।

(घ) प्रशिक्षण अवधि में शिक्षण कार्य प्रभावित न हो इस हेतु प्रबंध समिति उस विषय के लिए पूर्णतः अस्थायी तौर पर शिक्षक की नियुक्ति कर सकेगी।

(ड.) शिक्षक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिष्द से मान्यता प्राप्त संस्थान से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए भी उन्हें आवश्यकतानुसार सवैतनिक अवकाश देय होगा।

(च) वैसे अप्रशिक्षित शिक्षक जो निर्धारित अवधि के अन्दर प्रशिक्षण नहीं प्राप्त कर सकेंगे उन्हें एक साल का समय और दिया जा सकेगा और उक्त अवधि तक प्रशिक्षित नहीं होने की स्थिति में उनकी सेवा समाप्त करने की बाध्यता प्रबंध समिति की होगी।

नोट– वैसे शिक्षक जिनकी सेवा अवधि तीन या तीन वर्षो से कम बची होगी, को अनिवार्य प्रशिक्षण से मुक्त रखा जा सकेगा।

(छ) तृतीय श्रेणी के कर्मियों को भी कम्प्यूटर/प्रयोगशाला तकनिकी संबंधी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था प्रबंध समिति द्वारा की जाएगी।

6. **प्रोन्नति**।– प्राचार्य/प्रधानाध्यापक का पद सीधी भर्ती द्वारा अथवा वरीयता सह योग्यता एवं संतोषजनक सेवा के आधार पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव की अर्हत्ता रखने वाले की विद्यालय के शिक्षकों की प्रोन्नति द्वारा भरा जा सकेगा।

7. **संवर्ग**।–

(क) प्राचार्य /प्रधानाध्यापक सहित शिक्षक संवर्ग

(ख) शिक्षकेतर कर्मी तकनीकि संवर्ग

(ग) तकनीकि (अन्य) के अतिरिक्त शिक्षकेत्तर कर्मी संवर्ग

(घ) समूह 'घ' संवर्ग

8. **वेतनमान**।–प्राचार्य, शिक्षक एवं अन्य कर्मियों का वेतनमान, वेतनवृद्धि महंगाई भत्ता एवं अन्य सुविधाएँ न्यास/सोसाइटी/शासी निकाय की सहमति से विनिश्चित किया जाएगा। राज्य सरकार के पद का मूल वेतनमान समान नामकरण के साथ अपनाया जाएगा।

9. **आरक्षण**।–

(क) समस्त कोटियों हेतु बिहार की राज्य सरकार की आरक्षण नीति लागू होगी।

(ख) समस्त कोटि हेतु पृथक् रोस्टर पंजी का संधारण किया जाएगा।

(ग) प्रत्येक विद्यालय को संवर्गवार राज्य की आरक्षण नीति का पालन करना होगा।

(घ) उन विद्यालयों के लिए जहाँ कर्मी नियुक्त हैं, आगे होने वाली रिक्तियाँ राज्य सरकार की आरक्षण नियमावली के अनुसार आरक्षण के आधार पर भरी जाएगी।

(ड.) प्रत्येक संवर्ग में 3% पदों को दिव्यांग द्वारा राज्य सरकार में विहित प्रावधान के अनुसार भरा जाएगा।

टिप्पणीः दिव्यांग के रूप में प्रत्येक चयनित व्यक्ति योग्यता के आधार पर नियुक्त होंगे।

10. आयु।—नियुक्ति एवं सेवा निवृति के मामले में राज्य सरकार द्वारा समरूप पदों के लिए निर्धारित आयु सीमा एवं समय–समय पर इस हेतु राज्य सरकार द्वारा दिया जानेवाला छूट सभी संवर्गों के लिए मान्य माना जायेगा।

11. चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र इत्यादि।—

विद्यालय में नियुक्ति के फलस्वरूप प्रत्येक कर्मी को निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करना आवश्यक होगाः

(क) सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकार द्वारा स्थापित अथवा पोषित अस्पताल के चिकित्सक द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।

(ख) शिक्षाविद् अथवा समाज के किसी भी माननीय सदस्य जो अभ्यर्थी से संबंधित नहीं हों; द्वारा चरित्र एवं आचरण को अनुप्रमाणित करते हुए दो प्रमाण पत्र।

(ग) मूल डिग्री/डिप्लोमा, प्रमाण पत्रों के साथ अनुभव प्रमाण पत्र (पत्रों); यदि कोई हो, सहित इसकी छाया प्रतियाँ । सत्यापन के उपरांत मूल प्रमाण पत्रों को लौटा दिया जाएगा।

12. परिवीक्षा।—

(क) बिल्कुल अस्थायी रिक्ति अथवा छुट्टी रिक्ति अथवा अस्थायी प्रकृति के विशिष्ट पद के मामलों को छोड़कर, प्रत्येक कर्मी की कर्तव्य पर योगदान की तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षा पर प्रारंभिक नियुक्ति होगी। सोसाइटी/न्यास/शासी निकाय द्वारा परिवीक्षा अवधि, जो एक वर्ष से अधिक न हो, तक की अगली कालावधि तक आगे बढ़ाई जा सकेगी। सोसाइटी/न्यास/शासी निकाय द्वारा परिवीक्षा काल में कर्मी की सेवा बिना कोई कारण बताए एक माह की लिखित सूचना अथवा समस्त भत्तों सहित एक माह का वेतन देकर समाप्त किया जा सकेगा।

(ख) परिवीक्षा काल में कोई कर्मी मुक्त होना चाहता हो तो जब तक कि अन्यथा विशेष परिस्थितियों में सोसाइटी/न्यास/शासी निकाय छूट की अनुज्ञा प्रदान न करे, उसके लिए एक माह की लिखित सूचना अथवा समस्त भत्तों सहित एक माह का वेतन देना आवश्यक होगा।

(ग) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उ0मा0) के विज्ञप्ति संख्या–31/2012 के पूर्व नियुक्त प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक तथा कर्मचारी स्थायी समझे जाएँगे।

13. स्थायीकरण।—

(क) यदि परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी कर्मी का कार्य एवं आचरण संतोषजनक पाया जाता है, तो वह परिवीक्षा काल अथवा विस्तारित परिवीक्षा काल की समाप्ति पर यथास्थिति; उक्त अवधि की समाप्ति की तिथि के प्रभाव से स्थायीकरण के लिए पात्र हो जाएगा; परंतु वह अन्य अपेक्षित शर्तों को पूरा करता हो।

(ख) कर्मी को परिवीक्षा काल शर्तों के पूर्ण होने के 3 माह के भीतर उनके स्थायीकरण के संबंध में संसूचित किया जाएगा। 3 माह तक संसूचित नहीं किये जाने की स्थिति में स्थायीकरण संसूचित माना जायेगा। स्थायीकरण से संबंधित निर्णय न्यास/सोसाइटी/शासी निकाय द्वारा लिया जायेगा।

14. पदों के पर्यवसान आदि के कारण सेवा की समाप्ति।—

(क) यदि स्थायीकरण के उपरांत कर्मी किसी भी समय त्याग पत्र देने का इरादा रखता है, तो उसे प्रबंध समिति को तीन माह की लिखित सूचना अथवा समस्त भत्तों सहित तीन माह का वेतन देना होगा।

(ख) विद्यालय अथवा वर्ग को बंद करने अथवा वर्ग के खण्डों की संख्या घटाने अथवा शिक्षण विषय बन्द करने के कारण पद के पर्यवसान के मामले मात्र में सोसाइटी/न्यास/शासी निकाय तीन माह की लिखित सूचना अथवा सभी भत्तों सहित तीन माह का वेतन देकर स्थायी कर्मी की सेवा समाप्त करने हेतु सक्षम होगी।

(ग) सोसाइटी/न्यास/शासी निकाय को विशेष परिस्थितियों में क्रमांक 1 के मामले में सूचना की अवधि या वेतन भुगतान को शिथिल करने की शक्ति होगी।

15. सेवा निवृत्ति।—इस मार्गदर्शिका में किसी बात के होने पर भी या अन्यथा संस्था के प्रधान सहित प्रत्येक कर्मी समय–समय पर सरकार द्वारा विहित सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त होगा। वर्तमान में सेवा निवृत्ति की उम्र राज्य सरकार के समरूप पदों के अनुरूप 60 वर्ष होगी।

16. कार्य दिवस एवं कार्य अवधि ।—

(क) कार्य दिवस एवं अवकाश दिवस राज्य सरकार के विद्यालय के अनुरूप होगा।

(ख) सामान्यतः कार्य अवधि राज्य सरकार के विद्यालय की कार्य अवधि के अनुरूप होगा। आवश्यकतानुसार कारण सहित प्राचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा समय –समय पर इसमें परिवर्तन किया जा सकेगा।

(ग) विद्यालय हित में जैसा एवं जब अपेक्षित हो कर्मी को विशेष कर्त्तव्य समनुदेशित किया जा सकता है भले ही सामान्य कार्य अवधि से परे करना पड़े।

(घ) कर्मी से भी सह पाठ्यक्रम कार्यक्रमों के संचालन एवं आयोजन तथा अन्य कर्त्तव्यों का पालन करने की भी अपेक्षा होगी, भले ही सामान्य कार्य अवधि से परे हो।

17. शिक्षकों द्वारा अभिलेखों का संधारण।– शिक्षक को निम्नलिखित अभिलेखों एवं समय–समय पर निम्न अभिलेखों का संधारण करना आवश्यक होगा–

(क) वर्ग उपस्थिति पंजी, जिसका वह वर्ग शिक्षक है।
(ख) वैयक्तिक लॉग बुक एवं वर्ग लॉग बुक, निदेश का कार्यक्रम एवं पाठ योजना।
(ग) अपने वर्ग का संचयी परीक्षाफल।
(घ) वैकल्पिक विषयों की उपस्थिति डायरी; शिक्षक द्वारा ऐसे वैकल्पिक विषयों के अध्यापन की स्थिति में।
(ड़) उनके द्वारा धारण की गई सम्पत्तियों का स्टॉक पंजी।
(च) वर्ग का सी०आर०बी० (संचयी अभिलेख पुस्ति) जिसका वह वर्ग शिक्षक है।
(छ) वर्ग की शुल्क संग्रहण पुस्ति।

18. कर्मियों की उपस्थिति।–

(क) प्रत्येक कर्मी को समयानुसार विद्यालय पहुँचना एवं आगमन के बाद विद्यालय कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व उपस्थिति पंजी हस्ताक्षर करना तथा प्रस्थान का समय चिन्हित करना भी आवश्यक होगा।
(ख) कर्मी जिनके द्वारा उपर्युक्त के अनुसार उपस्थिति पंजी हस्ताक्षर नहीं किया जाए तो वह उक्त तिथि को कर्तव्य से अनुपस्थित विचार किए जाने के भागी हैं।

19. अंशानुदायी भविष्य निधि पेंशन योजना।–कर्मी को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के अधीन यथा अपेक्षित अंशानुदायी भविष्य निधि योजना का सदस्य बनना आवश्यक होगा, यदि विद्यालय प्रबंधन द्वारा इस योजना को अंगीकृत किया जाए।

20. अभ्यावेदन।–

(क) शिक्षक एवं अन्य कर्मियों की स्थिति में प्राचार्य/प्रधानाध्यापक के माध्यम से प्रबंध समिति/तदर्थ प्रबंध समिति/सोसाईटी/न्यास के अध्यक्ष को अभ्यावेदन दिया जा सकेगा।
(ख) प्राचार्य /प्रधानाध्यापक के द्वारा प्रबंध समिति/तदर्थ प्रबंध समिति/सोसाईटी/न्यास के अध्यक्ष/संयोजक को अपना अभ्यावेदन सीधे प्रस्तुत किया जा सकेगा।

21. योग्यतावर्द्धन हेतु अनुज्ञा।–

(क) किसी भी शिक्षक को सेवा की दो वर्षों की अवधि पूर्ण करने के पूर्व योग्यता वर्द्धन हेतु आवेदन देने के लिए अनुज्ञा नहीं होगी।
(ख) दो वर्षों की अवधि पूर्ण करने के बाद योग्यता वर्द्धन हेतु आवेदन सोसाइटी/न्यास/शासी निकाय के अध्यक्ष को नियम एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए दिया जा सकेगा एवं सोसाइटी/न्यास/शासी निकाय गुण दोष के आधार पर दिये आवेदन पर निर्णय कर सकेगी एवं फलाफल की सूचना आवेदन प्राप्ति के 1 माह के अन्दर संबंधित कर्मी को संसूचित करेगी।

22. अन्य पदों हेतु आवेदन।–

(क) कर्मचारी वृन्द का कोई भी सदस्य प्राचार्य/प्रधानाध्यापक को लिखित रूप में सूचित कर कहीं और नियोजन हेतु आवेदन कर सकेगा। लेकिन चयन के उपरांत संबंधित कर्मी द्वारा नियम एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए पद त्याग किया जा सकेगा।

23. अवकाश।–

(क) प्रत्येक कर्मी 16 दिनों के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा जैसा कि सरकारी विद्यालयों में तदसमान स्तर के कर्मी को अनुज्ञेय है।
(ख) महिला कर्मी को मातृत्वकाश एवं प्रत्येक माह में विशेषावकाश राज्य सरकार के द्वारा लागू नियमों के अनुसार देय होगा। पुरूष कर्मियों को राज्य सरकार के लागू नियमों के अनुसार पितृत्व अवकाश देय होगा।

24. अवकाश की स्वीकृति।–

(क) अधिकार विषयक मामला के रूप में अवकाश का दावा नहीं किया जा सकेगा।
(ख) विद्यालय के प्रधान को छोड़कर प्रत्येक कर्मी प्राचार्य/प्रधनाध्यापक से अवकाश प्राप्त करेगें। प्राचार्य/प्रधनाध्यापक, तदर्थ प्रबंध समिति के संयोजक/सोसाइटी/न्यास/शासी निकाय के अध्यक्ष से अवकाश प्राप्त करेगें।
(ग) किसी भी अवकाश की स्वीकृति संस्थान की आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा एवं स्वीकृति प्राधिकार के विवेकाधीन होगा।

25. कर्मियों हेतु आचार संहिता।–प्रत्येक कर्मी आचार संहिता के अधीन होगें। निम्नलिखित कृत्य आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा:

(क) आभ्यासिक विलंब से आगमन एवं कर्त्तव्य में लापरवाही
(ख) अभद्र भाषा का प्रयोग, झगड़ालू एवं उपद्रवी व्यवहार
(ग) वैध आदेश की अवज्ञा एवं तिरस्कार

(घ) अनादरपूर्ण व्यवहार, दुष्प्रचार तथा चरित्र हनन
(ङ.) झुठे आरोप लगाना अथवा उत्पीड़ित करना, या तो उकसाना
(च) विद्यालय परिसर में मदिरा अथवा नशीला पदार्थ का प्रयोग
(छ) निधि का गबन अथवा विद्यालय संपत्ति का दुर्विनियोग अथवा चोरी करना अथवा धोखाधड़ी करना।
(ज) विद्यालय अभिलेखों एवं संपत्ति की विकृति / विनाश
(झ) दांडिक अपराध हेतु न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि
(ट) विद्यालय परिसर में हथियारों, विस्फोटकों एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्रियों का रखना।
(ठ) परीक्षा अथवा विद्यालय के अन्य गतिविधि से संबंधित कदाचार के किसी भी रूप में अनुग्रह रखना अथवा बढ़ावा देना।
(ड) अवैध कर्त्तव्यों से कर्मचारी वर्ग के अन्य सदस्यों को बाधा पहुँचाना
(ढ) वित्तीय अनियमितता
(ण) राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना
(त) किसी भी छात्र / छात्रा को पाठ अध्यापन या अन्यथा सांप्रदायिक अथवा पंथिक दृष्टिकोण अथवा उकसा कर अथवा छूट के द्वारा प्रचारित कर सांप्रदायिक क्रियाकलाप के लिए उकसाना
(थ) वर्ग कार्य अथवा गृह कार्य का सुधार करने में निरंतर उपेक्षा करना
(द) निजी उप शिक्षण करना।
(ध) विद्यालय परिसर में उपस्थिति के बावजूद कार्य से अनुपस्थित रहना अथवा बिना अवकाश के अनुपस्थिति (अकस्मात बिमारी या दुर्घटनाग्रस्त होने परिवार में किसी अप्रिय घटना घटित होने की स्थिति को छोड़कर)

26. **सेवा पुस्तिका एवं गोपनीय पुस्तिका।–**

(क) विद्यालय प्राचार्य / प्रधानाध्यापक द्वारा विहित प्रपत्र में प्रत्येक कर्मी हेतु कर्मी का तथ्यात्मक अभिलेख, वेतनमान, वेतनवृद्धि, प्रोन्नति, छुट्टी अभिलेख, किसी भी अनुशासनिक कार्यवाही आदि को अंतर्विष्ट सेवा पुस्तिका संधारित किया जाएगा।
(ख) प्राचार्य की सेवापुस्तिका का संधारण विद्यालय के न्यास / सोसाइटी / शासी निकाय के अध्यक्ष / तदर्थ प्रबंध समिति के संयोजक द्वारा किया जाएगा।
(ग) संस्था के प्रधान सहित प्रत्येक कर्मी हेतु विद्यालय द्वारा विहित प्रपत्र में वार्षिक गोपनीय पुस्तिका संधारित की जाएगी। गोपनीय पुस्तिका में परीक्षाफल सहित शैक्षणिक वर्ष के दौरान कार्य का मूल्यांकन अन्तर्विष्ट होगा। कर्मियों के लिए गोपनीय पुस्तिका संस्था के प्राचार्य / प्रधान द्वारा एवं प्राचार्य / प्रधानाध्यापक के लिए न्यास / सोसाइटी / शासी निकाय के अध्यक्ष / तदर्थ प्रबंध समिति के संयोजक द्वारा संधारित किया जाएगा।

27. **अनुशासनात्मक प्रक्रिया।–**

निलंबन।–

1. न्यास / सोसाइटी / शासी निकाय / तदर्थ प्रबंध समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर ही किसी कर्मी को निलंबित किया जा सकेगा जहाँ:
   (i) उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विचारधीन हो अथवा लंबित हो।
   (ii) उसके विरूद्ध किसी दाण्डिक अपराध के लिए मामला अन्वेषण या विचारण के अधीन हो।
   (iii) वह गबन का आरोपी हो।
   (iv) वह विद्यालय के किसी छात्र / छात्रा या किसी कर्मी की तरफ क्रूरता / शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का आरोपी हो।
   (v) वह विद्यालय के किसी माता पिता, अभिभावक, छात्र या कर्मी से दुर्व्यवहार का आरोपी हो।
   (vi) वह किसी अन्य आचार संहिता के उल्लंघन का आरोपी हो।
2. निलंबन का कोई भी आदेश छः माह से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा जब तक कि समिति, छः माह की कालावधि से अधिक निलंबन की निरंतरता के कारणों के लिए अभिलिखित कर संसूचित नहीं करे एवं किसी भी परिस्थिति में निलंबन एक वर्ष से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगा।
3. निलंबनाधीन कर्मी को निलंबन अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के आलोक में आवश्यक जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
4. किसी भी कर्मी को तब तक जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक की वह इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करे कि वह किसी अन्य नियोजन, कारोबार, वृत्ति अथवा व्यवसाय में नहीं लगा है।

5. निलंबित कर्मी अनुशासनिक कार्यवाही के फलस्वरूप आरोपों से मुक्त हो जाए या जब किसी निलंबित कर्मी के विरूद्ध चल रहे आपराधिक अभियोजन का अंत सम्मानपूर्वक दोषमुक्त से होता हो, तो ऐसे कर्मी को उसके द्वारा प्राप्त किए गए जीवन निर्वाह भत्ता का समायोजन कर निलंबनावधि हेतु वेतन एवं भत्तों का भुगतान किया जाएगा।

28. शास्तियां।–समुचित और यथेष्ट कारणों से, आचार संहिता के एक या अधिक उपबंधों के उल्लंघन सहित, निम्नलिखित शास्तियां किसी कर्मी पर अधिरोपित की जा सकेंगी

(1) लघु शास्तियां ।–

(i) निंदन

(ii) लापरवाही अथवा आदेशोल्लंघन के कारण विद्यालय को उसके द्वारा पहुंचायी गयी किसी वित्तीय हानि की उसके वेतन से पूर्ण अथवा आंशिक वसूली

(iii) वेतन वृद्धियों की रोक

(2) वृहत शास्तियां ।–

(i) पद में अवनति

(ii) अनिवार्य सेवा निवृत्ति

(iii) सेवा की समाप्ति

29. लघु शास्तियां अधिरोपित करने हेतु प्रक्रिया।–लघु शास्ति अधिरोपित करने की स्थिति में, कर्मी जिसके विरूद्व कार्रवाई करने के लिये प्रस्ताव एवं कदाचार अथवा अवचार का लांछन, जिसके आधर पर कार्रवाई प्रस्तावित हो, की लिखित जानकारी और उसे ऐसा अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर, जैसा वह प्रस्ताव के विरूद्ध करना चाहे, किए बिना कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

30. वृहत शास्ति अधिरोपित करने हेतु प्रक्रिया।–किसी कर्मी पर कोई वृहत शास्ति अधिरोपित करने हेतु नीचे विनिर्दिष्ट रीति से जाँच किए बिना आदेश नहीं किया जाएगा।

(i) अनुशासनिक प्राधिकार, उन अभिकथनों जिसके आधार पर जाँच किया जाना प्रस्तावित हो, निश्चित आरोपों को गठित करेगा एवं आरोपों की प्रति के साथ लांछनों की विवरणी कर्मी को दिया जाएगा और उससे अपेक्षा होगी कि अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी समयावधि; परन्तु दो सप्ताह से कम नहीं के भीतर अपने बचाव का लिखित अभिकथन प्रस्तुत करे और यह भी अभिकथित करे कि क्या वह चाहता है कि उसे व्यक्तिगत रूप में सुना जाए।

(ii) बचाव का लिखित अभिकथन प्राप्त होने पर अथवा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई भी ऐसा अभिकथन प्राप्त हो तो अनुशासनिक प्राधिकार आरोप की उन मदों के बारे में जिन्हें स्वीकार न किया गया है स्वयं जाँच–पड़ताल कर सकेगा अथवा यदि इस प्रयोजनार्थ जाँच प्राधिकार नियुक्त करना आवश्यक समझे तो वह वैसा कर सकेगा।

(iii) जाँच की समाप्ति पर जाँच पदाधिकारी प्रत्येक आरोप की मदों पर अपने निष्कर्ष के साथ उसके कारणों को अभिलिखित करते हुए जाँच प्रतिवेदन तैयार करेगा।

(iv) अनुशासनिक प्राधिकार जाँच प्रतिवेदन पर विचार करेगा और प्रत्येक अवचार के संबंध में अपना निष्कर्ष अभिलिखित करेगा एवं यदि अनुशासनिक प्राधिकार की यह राय हो कि वृहत शास्तियों में कोई भी शास्ति अधिरोपित किया जाना चाहिए, तो यह करेगा।

(v) कर्मी को जॉच पदाधिकारी के प्रतिवेदन की प्रति देगा।

(vi) प्रस्तावित कार्रवाई, जिसे उसके विरूद्ध किया जाना हो, को बताते हुए उसे लिखित सूचना देगा एवं विनिर्दिष्ट समय परन्तु दो सप्ताह से कम नहीं, के भीतर ऐसा अभिवेदन जिसे प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्ध वह इच्छा रखता है, प्रस्तुत करने के लिए उससे मॉगेगा।

(vii) प्रस्तावित शास्ति के विरूद्ध कर्मी द्वारा दिए गए अभिवेदन पर अनुशासनिक प्राधिकार विचार के फलस्वरूप शास्ति के संबंध में अपने निष्कर्ष को अभिलिखित करेगा एवं अपनी निष्कर्ष और निणर्य को न्यास/सोसाइटी/शासी निकाय/तदर्थ प्रबन्ध समिति को इसके अनुमोदन हेतु भेजेगा तथा ऐसा करते हुए अनुशासनिक प्रधिकार कर्मी के अभिकथन की विवरणी, कर्मी के विरूद्ध गठित आरोपों, कर्मी द्वारा दिए गए अभिवेदन की प्रति, जाँच प्रतिवेदन की प्रति तथा अनुशासनिक प्राधिकार की कार्यवाही के साथ समस्त संगत अभिलेखों को देगा।

(viii) न्यास/सोसाइटी/शासी निकाय/तदर्थ प्रबंध समिति से निर्णय के उपरांत वृहत शास्ति अधिरोपित करने संबंधी कार्रवाई की जा सकेगी।

31. अनुशासनिक प्राधिकार–

(i) न्यास/सोसाइटी/शासी निकाय के अध्यक्ष/तदर्थ प्रबंध समिति के संयोजक द्वारा मनोनीत समिति का कोई सदस्य।

(ii) विद्यालय का प्राचार्य/प्रधानाध्यापक, जहाँ अनुशासनिक कार्यवाही उसके विरूद्ध हो, को छोड़कर

(iii) एक शिक्षक, जो अध्यक्ष/संयोजक द्वारा मनोनीत विद्यालय की प्रबंध समिति का सदस्य हो।

नोट।– **प्रस्वीकृति इंटर महाविद्यालय/माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की लघु/वृहद दण्ड देने की शक्ति न्यास/सोसाइटी/शासी निकाय/तदर्थ प्रबंध समिति की होगी, लेकिन पदावनत/सेवा से वर्खास्तगी जैसे वृहद दण्ड पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।**

अध्याय–4

32. **प्रधान एवं शिक्षक के लिए न्यूनतम योग्यता** ।–समिति द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालय/ माध्यमिक विद्यालय के प्रधान एवं कक्षा नवम् से द्वादश तक में विभिन्न विषयों के अध्यापन हेतु शिक्षकों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है–

1. **उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य** ।–

(i) स्नातकोत्तर डिग्री अथवा किसी भारतीय विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर की डिग्री के समतुल्य मान्यता प्राप्त विदेश के विश्वविद्यालय से प्रतिष्ठा की डिग्री अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री के समतुल्य मान्यता प्राप्त के रूप में हो, ऐसे विश्वविद्यालयों से प्रतिष्ठा की डिग्री,

(ii) बी0एड0 डिग्री अथवा डिप्लोमा इन एजुकेशन या मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से इसके समतुल्य डिग्री,

(iii) मान्यता प्राप्त उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव,

(iv) मान्यता प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालय/इन्टरमीडिएट अथवा +2 कक्षाओं वाले इन्टर कालेज का न्यूनतम 3 वर्ष प्रशासनिक प्रभार का अनुभव,

(v) मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय का न्यूनतम 5 वर्षो का प्रशासनिक प्रभार का अनुभव,

(vi) एम0एड0 योग्यताधारी को प्राथमिकता दी जायेगी।

2. **माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक**।–मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री (अथवा इसके समतुल्य) एवं बी0एड0 की डिग्री (अथवा इसके समतुल्य) तथा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में कम से कम 8 वर्षो का शिक्षण अनुभव।

अथवा

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक की डिग्री एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी०एड० की डिग्री और माध्यमिक विद्यालय में कम से कम 10 वर्षों का शिक्षण अनुभव ।

3. शिक्षक

(1) **पी०जी०टी० (XI-XII वर्गों के अध्यापन हेतु) उच्च माध्यमिक विद्यालय/महाविद्यालय शिक्षकः–**

(i) अंग्रेजी ।–

(क) न्यूनतम 45% अंको के साथ इस विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री

(ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0एड0 की डिग्री/डिप्लोमा इन एजुकेशन की डिग्री

(ग) बिहार सरकार द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्णता।

(ii) आधुनिक भारतीय भाषा एवं प्राचीन भाषा ।–

(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इस विषय में न्यूनतम 45 प्रतिशत के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री।

(ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी0एड0 की डिग्री/डिप्लोमा इन एजुकेशन की डिग्री।

(ग) बिहार सरकार द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्णता।

(iii) गणित (1 या 2 में कोई) ।–

1. (क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ इस विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री

(ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी0एड0/ डिप्लोमा इन एजुकेशन की डिग्री।

(ग) बिहार सरकार द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्णता।

2. रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, एन०सी०ई०आर०टी० से इस विषय में एम०एस०सी०एड० एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्णता।

(iv) भौतिकी और रसायन शास्त्र (1 या 2 में कोई) ।–

1.(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री

(ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी0एड0/ डिप्लोमा इन एजुकेशन की डिग्री।

(ग) बिहार सरकार द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्णता।

अथवा

मैट्रिकुलेशन के बाद न्यूनतम 6 वर्ष अध्ययन करने के उपरांत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ जैव–रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर विज्ञान डिग्री (मात्र रसायन शास्त्र के शिक्षकों के लिए)

2. रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, एन०सी०ई०आर०टी० से संबंधित विषय में एम०एस०सी०एड० एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्णता।

(V) जीव विज्ञान (1 या 2 में कोई) ।–

1.(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ वनस्पति विज्ञान या प्राणी शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री।

(ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी0एड0/ डिप्लोमा इन एजुकेशन की डिग्री।

(ग) बिहार सरकार द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्णता।

2. रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, एन०सी०ई०आर०टी० से संबंधित विषय में एम०एस०सी०एड० एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्णता।

(vi) अर्थ शास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र एवं दर्शनशास्त्र ।–

(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री।

(ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी0एड0/ डिप्लोमा इन एजुकेशन की डिग्री।

(ग) बिहार सरकार द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्णता।

(vii) राजनीति विज्ञान ।–

(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ राजनीति विज्ञान/लोक प्रशासन/अन्तर्राष्ट्रीय संबंध में स्नातकोत्तर की डिग्री।

(ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी0एड0/ डिप्लोमा इन एजुकेशन की डिग्री।

(ग) बिहार सरकार द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्णता।

(Viii) लेखा शास्त्र एवं व्यवसायिक अध्ययन ।–

(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ एम0कॉम/एम0ए0 (वाणिज्य)।

(ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी0एड0/ डिप्लोमा इन एजुकेशन की डिग्री।

(ग) बिहार सरकार द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्णता।

(ix) मनोविज्ञान (1 या 2 में कोई) ।–

1. (क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के इस विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री।
(ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी0एड0/ डिप्लोमा इन एजुकेशन की डिग्री।
(ग) बिहार सरकार द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्णता।

2. एक विषय के रूप में मनोविज्ञान के साथ शिक्षण में स्नातकोत्तर की डिग्री एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्णता।

(x) गृह विज्ञान ।–

(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातकोत्तर गृह विज्ञान।
(ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी0एड0/ डिप्लोमा इन एजुकेशन की डिग्री।
(ग) बिहार सरकार द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्णता।

(xi) संगीत (1 या 2 में कोई)

1. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वद्यािलय से न्यूनतम 45% अंको के साथ स्नातकोत्तर कला (संगीत) या संगीत में स्नातकोत्तर के साथ बिहार सरकार द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्णता।

अथवा

2. न्यूनतम 45% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत में स्नातक सहित स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्णता।

(xii) ललित कला
चित्राकारी (दोनों में से कोई) ।–

1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 45% अंको के साथ ललित कला (चित्रकारी विशेषज्ञता सहित) में स्नातकोत्तर की डिग्री एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्णता।
2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 45% अंकों के साथ ललित कला/कला/ रेखांकन एवं रंगचित्र विषयों में से एक सहित स्नातक एवं मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से न्यूनतम 4 वर्षीय डिप्लोमा एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्णता।

(xiii) **शारीरिक शिक्षा।**–मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर की डिग्री एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्णता।

(xiv) **कम्प्यूटर से सम्बद्ध विषयों के लिए शिक्षक।**–एम0सी0एस0/स्नातकोत्तर विज्ञान (कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौघोगिकी)/सूचना प्रौधोगिकी में स्नातकोत्तर के समकक्ष

अथवा

स्नातकोत्तर विज्ञान (गणित) और स्नातक विज्ञान (कम्प्यूटर विज्ञान) या न्यूनतम 45% के साथ बी0सी0ए0 अथवा इसके समकक्ष

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ गणित या भौतिकी या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री और ए0आई0सी0टी0ई0/विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/सूचना प्रौधोगिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा

अथवा

गणित या भौतिकी या सांख्यिकी में न्यूनतम 45% अंको के साथ स्नातकोत्तर डिग्री और ए0आई0सी0टी0ई0/विश्वविद्यालय अथवा समकक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में न्यूनतम स्नातकोत्तर डिप्लोमा

अथवा

DOEACC से 'बी' स्तर

एवं

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी0एड0) या इसके समकक्ष तथा बिहार सरकार द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्णता।

2. **स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक (कक्षा IX-X में अध्यापन हेतु)– माध्यमिक शिक्षक**

(i) अंग्रेजी (दोनो में से कोई एक) ।–

1 (क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ इस विषय में स्नातक

(ख) मान्यता प्राप्त डिग्री/ डिप्लोमा इन एजुकेशन एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्णता।

2. रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से अंग्रेजी के साथ स्नातक कला बी0एड0 एवं बिहार सरकार आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्णता।

(ii) आधुनिक भारतीय भाषा एवं प्राचीन भाषा (दोनों में से कोई एक) ।–

1. (क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 45% अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातक अथवा इसके समकक्ष

(ख) मान्यता प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा इन एजुकेशन एवं बिहार सरकार आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्णता।

2. रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से संबंधित विषय के साथ स्नातक कला कक्षा बी0एड0 एवं बिहार सरकार आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्णता।

(iii) गणित (दोनों में से कोई एक) ।–

1.(क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से न्यूनतम 45% अंकों के साथ इस विषय में स्नातक

(ख) मान्यता प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा इन एजुकेशन एवं बिहार सरकार आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्णता।

2. रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से गणित के साथ स्नातक एवं बी0एड0 एवं बिहार सरकार आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्णता।

(iv) भौतिकी एवं रसायन शास्त्र (निम्नलिखित में से कोई) ।–

1. (क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान भौतिक एवं रसायन विज्ञान विषय (प्रतिष्ठा या सहायक स्तर पर) के साथ स्नातक; न्यूनतम 45% अंकों सहित।

(ख) मान्यता प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा इन एजुकेशन एवं बिहार सरकार आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्णता।

2. रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से स्नातक विज्ञान बी0एड0 एवं बिहार सरकार आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्णता।

3. रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, एन0सी0ई0आर0टी0 से बी0टेक0 (शिक्षा मात्र भौतिकी अध्यापन हेतु पात्र) एवं बिहार सरकार आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्णता।

(v) जीव विज्ञान ।–

(क) वनस्पति विज्ञान एवं प्राणी शास्त्र (प्रतिष्ठा या सहायक स्तर पर) के साथ स्नातक; न्यूनतम 45% अंकों सहित

(ख) मान्यता प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा इन एजुकेशन एवं बिहार सरकार आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्णता।

(vi) सामाजिक विज्ञान (दो में से कोई एक) ।–

1.(क) न्यूनतम 45% अंकों के साथ इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं भूगोल में से दो विषयों सहित स्नातक

(ख) मान्यता प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा इन एजुकेशन एवं बिहार सरकार आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्णता।

2. रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से सामाजिक विज्ञान के साथ स्नातक कला बी0एड0 एवं बिहार सरकार आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्णता।

(vii) **अर्थशास्त्र (दो में से कोई एक) ।–**

1. (क) न्यूनतम 45% अंकों के साथ अर्थशास्त्र में स्नातक
   (ख) मान्यता प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा इन एजुकेशन एवं बिहार सरकार आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्णता।
2. रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से अर्थशास्त्र में स्नातक कला बी0एड0 एवं बिहार सरकार आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्णता।

(viii) **वाणिज्य के शिक्षक (दो में से कोई एक) ।–**

1. (क) न्यूनतम 45% अंकों के साथ वाणिज्य/अर्थशास्त्र में स्नातक।
   (ख) मान्यता प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा इन एजुकेशन एवं बिहार सरकार आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्णता।
2. रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से वाणिज्य के साथ स्नातक कला बी0एड0 एवं बिहार सरकार आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्णता।

(ix) **गृह विज्ञान ।–**

(क) न्यूनतम 45% अंकों के साथ गृह विज्ञान में स्नातक।
(ख) मान्यता प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा एन एजुकेशन एवं बिहार सरकार आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्णता।

(x) **शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा के शिक्षक (निम्नलिखित में कोई) ।–**

1. बी0पी0एड0 के शारीरिक शिक्षा में स्नातक एवं बिहार सरकार आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्णता।
2. न्यूनतम एक शैक्षिक सत्र के प्रशिक्षण के बाद किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान द्वारा प्रदत्त डी0पी0एड0, परन्तु डिप्लोमा के लिए नामांकन योग्यता कम से कम विश्वविद्यालय डिग्री की हो एवं बिहार सरकार आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्णता।
3. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार से "खेल, मानविकी एवं शारीरिक शिक्षा" में स्नातक एवं बिहार सरकार आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्णता।

(xi) **संगीत (गायन एवं वाद्य यंत्र)।**–न्यूनतम 45% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संगीत में स्नातक एवं बिहार सरकार आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्णता।

(xii) **कम्प्यूटर विज्ञान।**–न्यूनतम 45% अंको के साथ स्नातक विज्ञान; कम्प्यूटर विज्ञान/बी0सी0ए0 /सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक

अथवा

एक विषय गणित सहित किसी भी विषय में स्नातक एवं ए0आइ0सी0टी0ई0/ विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/सूचना प्रौद्योगिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा

अथवा

एक वर्षीय गणित सहित किसी भी विषय में स्नातक ए0आइ0सी0टी0ई0/ विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्पयूटर एप्लीकेशन में न्यूनतम एक वर्षीय डिप्लोमा

अथवा

DOEACC से 'ए' स्तर

एवं

बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी0एड0) अथवा इसके समकक्ष के साथ स्नातक तथा बिहार सरकार आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्णता।

(xiii) **पुस्तकालयाध्यक्ष।**–मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा के साथ स्नातक।

(xiv) **कनीय पुस्तकालयाध्यक्ष।**–मान्यता प्राप्त संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र के साथ; 50% अंकों सहित उच्च माध्यमिक/इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष

3. **व्यावसायिक विषय के शिक्षक।**–संबंधित क्षेत्र जैसे वाणिज्य आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए स्नातकोत्तर वाणिज्य, कृषि आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए स्नातकोत्तर (कृषि), गृह विज्ञान आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए स्नातकोत्तर विज्ञान (गृह विज्ञान), ललित कला आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए संबंधित क्षेत्र

में पाँच वर्षीय कला डिप्लोमा एवं संगीत/नृत्य के लिए संगीत/नृत्य में स्नातकोत्तर की योग्यता प्राप्त व्यक्ति संबंधित विषय के अध्यापन हेतु अर्हक होंगे।

पाठ्यक्रम एवं 2 वर्षों का अनुभव अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ पॉलिटेक्निक में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम एवं 2 वर्षों का अनुभव अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ इंजीनियरींग स्नातक की योग्यता प्राप्त व्यक्ति इस विषय के अध्यापन हेतु अर्हक माने जायेंगे।

4. **न्यूनतम अर्हत्ता से छूट।**—उपर्युक्त न्यूनतम अहर्त्ता से छूट नहीं दिया जा सकेगा।

33.(क) व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु अंशकालिक अनुदेशक के रूप में विद्यालयों द्वारा विशेषज्ञ की भी नियुक्ति की जा सकेगी।

विद्यमान कर्मियों की सेवाओं का पूर्णतः उपयोग किया जाएगा। विद्यमान स्नातकोत्तर शिक्षकों को कोर पाठ्यक्रम के अन्तर्गत सामान्य मौलिक पाठ्यक्रम का अध्यापन सौंपने की सलाह होगी।

(ख) विद्यालय में परामर्शदाता

1. प्रत्येक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय परामर्शदाता के कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु पूर्णकालिक आधार पर निम्नलिखित योग्यता प्राप्त किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकेगा।
मनोविज्ञान में स्नातक/स्नातकोत्तर

अथवा

बाल विकास में स्नातकोत्तर

अथवा

कैरियर गाईडेन्स एवं काउन्सिलिंग में डिप्लोमा के साथ स्नातक/स्नातकोत्तर

2. कक्षा IX से XII में 300 छात्रों से कम नामांकन वाले विद्यालय में अंशकालिक आधार पर परामर्शदाता नियुक्त किया जा सकेगा।

(ग) प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय/उच्च माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मियों की योग्यता राज्य सरकार में कार्यरत समकक्ष कर्मियों के अनुरूप होगा।

अध्याय — 5

34. विवेचन।—इस मार्गदर्शिका के किसी प्रावधान के विवेचन के प्रश्न पर अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

35. निरसन एवं व्यावृत्ति।—

1. संबद्धता विनियम से संबंधित विद्यमान प्रावधान एवं उसके अधीन निर्गत कोई अधिसूचना अथवा आदेश एतद् द्वारा निरिसित किए जाते हैं, परन्तु कि—

(i) ऐसे निरसन का प्रभाव उक्त विनियमों या किसी अधिसूचना अथवा आदेश के पूर्व कार्यान्वयन अथवा उसके अधीन किये गए कुछ भी या की गयी किसी कार्रवाई पर नहीं पड़ेगा।

(ii) इस मार्गदर्शिका के आरंभ पर उस नियम के अधीन लंबित कोई कार्यवाही जारी रहेगी एवं जहाँ तक हो सके इस मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुसार निस्तारित की जायगी मानो वह कार्यवाही इस मार्गदर्शिका के अधीन है।

(iii) इस मार्गदर्शिका की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि किसी व्यक्ति को, जिस पर यह लागू होती है अथवा अपील का कोई अधिकार जो उसे प्राप्त है, जो इस मार्गदर्शिका के प्रारंभ के पूर्व प्रवृत्त विनियम, अधसूिचना या आदेश के अधीन उसे प्रोद्भूत हुआ था, से वंचित किया गया है।

(iv) इस मार्गदर्शिका के आरंभ के पूर्व किये गए आदेश के विरूद्ध इस नियमावली के आरंभ पर लंबित अपील पर इस मार्गदर्शिका के अनुसार विचार किया जाएगा एवं उस पर आदेश किया जाएगा मानों वह आदेश तथा वह अपील इस मार्गदर्शिका के अधीन किये गए हों।

(2) इस मार्गदर्शिका के आरंभ पर इसके आरंभ के पूर्व किये गये किसी आदेश के विरूद्ध किसी अपील अथवा पुर्नविलोकन के लिए आवेदन इस मार्गदर्शिका के अधीन दायर किया अथवा दिया जाएगा, मानों वह आदेश इस मार्गदर्शिका के अधीन किया गया हो।

36. वाद दायर करने की अधिकारिता।—

(क) समिति के विरूद्ध वाद दायर करने के लिए विधिक अधिकारिता जिला एवं सत्र न्यायालय पटना से न्यून नहीं होगा।

(ख) परिषद (निरसित)/समिति से प्रस्वीकृति/सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय/ विद्यालयों में यदि विवाद उत्पन्न हो जाता है तो सभी प्रकार के विवादित मामलों का निष्पादन बिहार अनुदानित शिक्षण संस्थान प्राधिकार द्वारा किया जाएगा।

(ग) प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय / उच्च माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में आंतरिक श्रोत यथा छात्रों से प्राप्त विकास शुल्क एवं महाविद्यालय के भूमि से प्राप्त आय आदि से प्राप्त आय में से 70 प्रतिशत राशि कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों पर तथा 30 प्रतिशत महाविद्यालय / विद्यालय के विकास पर व्यय किया जाएगा।

(घ) महाविद्यालय / विद्यालय के आय–व्यय को अंकेक्षण कराने का अधिकार समिति (वोर्ड) / राज्य सरकार का होगा। संस्था प्रधान प्रत्येक वर्ष आंतरिक अंकेक्षण कराकर रिपोर्ट वोर्ड एवं सरकार को समर्पित करेंगे।

(ङ.) प्रत्येक संस्था का बैंक में दो खाता होंगे। एक खाता में अनुदान से प्राप्त राशि संचित की जायगी, एवं दूसरे खाता में आंतरिक श्रोत से प्राप्त राशि एवं अन्य मद से प्राप्त राशि संचित की जाएगी। दोनों खाता का संचालन प्राचार्य–सह–सचिव एवं एक वरीयतम् शिक्षक जो प्राचार्य का संबंधी नहीं हो, द्वारा किया जायेगा। सभी व्यय प्रबंध समिति / तदर्थ समिति के अनुमोदन से जायेंगे। प्रत्येक वर्ष आय–व्यय का आडिट किया हुआ विवरणी वोर्ड में भेजना आवश्यक होगा।

बिहार–विद्यालय परीक्षा समिति के आदेश से,
शेखर चन्द्र वर्मा,
निदेशक (शैक्षणिक)।

The 24th August 2019

No. BSEB/SS/Coll/Estab/1269/D-19—Guidelines in connection with the conditions for service of Employees of Secondary Schools/Senior Secondary Schools (+2 colleges) affiliated by Bihar School Examination Board.

CHAPTER -1

1. ***Short title, extent and commencement.—***
   (i) These Guidelines will be known as Guidelines (2017) in connection with the conditions for Service of Employees of Secondary and Senior Secondary Schools (+2 colleges) affiliated by Bihar School Examination Board,
   (ii) This will extend to the whole of the state of Bihar.
   (iii) It shall come into force from the date it is notified in the official gazette.

CHAPTER-2

2. ***Definitions- In these Guidelines, unless there is anything contrary in the subject or context.—***

(i) ***"Act"*** means Bihar School Examination Board Act, 1952

(ii) ***"Chairman"*** means chairman of Bihar School Examination Board.

(iii) ***"Academic Director"*** means Academic Director of Bihar School Examination Board.

(iv) ***"Secretary"*** means Secretary of Bihar School Examination Board.

(v) ***"Director"*** means- Director of Secondary Education.

(vi) ***"Regional Deputy Director"*** means- An officer of Regional Deputy Director level posted in divisional headquarter of the state.

(vii) ***"District Education Officer"*** means – In-charge of Education Department at the district level.

(viii) ***"Deputy Director"*** means- Deputy Director of Secondary Education at the headquarter.

(ix) ***"State or Government"*** means the State Government of Bihar.

(x) ***"Recognised Senior Secondary school (+2 colleges)/Secondary School"*** means - Senior Secondary school/Secondary School Recognised by Bihar School Examination Board or by the dissolved Bihar Intermediate Education Council or affiliated to Bihar school Examination Board receiving grant from the Government will be treated as previously recognised/affiliated +2 schools or Inter college / Senior Secondary School.

(xi) ***"Principal"*** means- Teacher appointed as Head of (+2) Higher Secondary School (Inter College)

(xii) ***"Headmaster"*** means- Teacher appointed as Head of Senior Secondary School recognised or affiliated to Bihar School Examination Board.

(xiii) ***"Teacher"*** means- a person including Principal/Headmaster appointed for teaching in a Secondary or Senior Secondary School.

(xiv) ***"B.Ed. degree"*** means- teachers training from a recognised training institution prior to enactment of National teacher education Council Act or after the enactment of the said Act, teacher training degree from a training institution recognised by National Teacher Education Council.

(xv) ***"Non-teaching staff category"*** means- persons other than teachers appointed as Laboratory Assistant, Librarian and other non-teaching staff of Secondary or Senior Secondary Schools.

(xvi) ***"Managing Committee"*** means- Managing Committee for managing Secondary/Senior Secondary schools recognised by or affiliated to Bihar School Examination Board.

(xvii) ***"Permanent Post"*** means- A sanctioned post with prescribed fixed pay scale without any time limit.

(xviii) ***"Temporary post"*** means- A post with fixed pay for a limited period.

(xix) "Duty" means- Service rendered on a sanctioned post on permanent basis or on probation or on temporary basis.

(xx) ***"Month"*** means- Month or English calendar.

(xxi) ***"Probation"*** means- Service rendered on probation by Principal/Head master/Teacher/Non-teaching staff on a vacant sanctioned cadre post.

(xxii) ***"Manager/Correspondent"*** Means – A person authorised by the Society/Trust to act on its behalf for that school.

(xxiii) ***"Language"*** means the language taught in secondary and senior secondary sections ie. Hindi and English.

Note:- 1. Words importing the singular number will also include the plural number and vice versa.

2. Words importing the masculine gender will also include the feminine gender.

CHAPTER -3

3. ***Appointments.—***

(1) All appointments to all categories of employees except Group 'D' employees as per gradation of the State Government shall be made by the Managing Committee either by direct recruitment or by promotion through a Selection Committee constituted by the School Society/Trust/GB/ in accordance with and upon such conditions as the Managing Committee may decide, which shall be consistent with the norms of the Board/the State Government of Bihar. Appointment of Group 'D' employees will be made by the principal/Headmaster through a duly constituted Selection Committee.

(2) ***Procedure for appointment***

Except Group 'D' .—

(a) When a vacancy occur or a new post is sanctioned the Principal/Head Master will submit a note to the Managing Committee to take necessary steps to fill the vacancy. The Managing Committee will first decide whether the post is to be filled by promotion or direct recruitment and for which will obtain the approval of the Trust/Society/Governing Body. In case of difference of opinion, the decision of the Trust/Society/Governing Body will be final and binding.

(b) If the post is to be filled by promotion the Managing committee will cause preparation of list of all those persons who are in the service of the school and are holding a substantive appointment in the just

immediate lower grade in the cadre and fulfil the prescribed qualifications and experience etc. for the post to be filled up.

(c) The list along with all the papers relating to qualifications, experience and character roll of previous three years of all eligible candidates will be placed before the appropriate Selection Committee for its recommendation. The recommendations of the Selection Committee will be placed before the appropriate appointing authority for order.

(d) If it is decided to fill the post by open advertisement the post (s) shall be advertised in at least two (one Hindi & one English) leading daily newspapers of the State giving all the details including the current reservation roster of the State Government.

(e) The information about all the candidate for each post will be prepared under the supervision of the member authorised by Managing committee in a tabular form and scrutiny will done by a Three Member committee of the Managing Committee. This information in the tabular form will be placed before the concerned Selection Committee at the time of interview.

(f) The Selection Committee will prepare a panel strictly according to merit consisting of two more names than the number of available vacancy/vacancies and submit it in a sealed cover to the Managing committee of the School.

(g) The Managing Committee will order for appointment from the panel submitted by the Selection Committee in such number as the number of vacancy exist in the same sequence as in the panel by taking approval from Trust/Society/Governing Body.

(h) The Panel will be valid for one year. Time period of the panel may be extended up to 3 years by taking decision in committee if managing committee needs so.

(3) ***Making of Panel.***—Panels will be prepared for Senior Secondary Teachers separately and subject-wise on the basis of following marks

(i) ***For Senior Secondary School Teachers.—***

(*a*) Total marks of Post Graduation -% of marks obtained

(*b*) Total marks of Graduation -% of marks obtained

(*c*) Total marks of Senior Secondary/Intermediate/+2 Examination-%of marks obtained

(*d*) Total marks of Secondary Examination -% of marks obtained

(*e*) Total marks of B.Ed. -% of marks obtained

Grand total of above five percent (%) of marks will be divided by 5 and the resultant will be the merit point. Five additional points will be added to a Graduate with Honours in subject/group of subjects for appointment.

In case of up-gradation from Secondary School to Senior Secondary working teachers with requisite qualifications and 5 years teaching experience will entitle for 5 additional points.

(ii) ***For Secondary School Teachers.—***

(a) Total marks of Graduation -% of marks obtained

(b) Total marks of Senior Secondary/Intermediate/+2 Examination - % of marks obtained

(c) Total marks of Secondary Examination-% of marks obtained

(d) Total marks of B.Ed. -% of marks obtained

Grand Total of above 4 percent (%) of marks will be divided by 4 and the resultant will be merit point. Five additional points will be added to a Graduate with Honours in subject of appointment.

Appointment of candidates possessing B.Ed qualification and have passed Teacher Eligibility Test conducted by the Bihar Government, will be made.

If more than one candidate get similar merit point then the person whose date of birth is earlier will get priority. If the date of birth will be same, priority will be decided on the basis of alphabetical order of the first letter of the name.

Note- Employment on compassionate basis of the successor/ dependent of teaching and non-teaching employee who have died in harness will be made against the available vacancy of teaching and non-teaching employee provided they possesses the prescribed eligibility and give their clear consent for the same. Employment will be made by the managing committee following the conditions prescribed by the General Administration Department of the state Government in the matter of appointment on compassionate basis.

(4) ***The Selection Committee .—***

(a) ***For the recruitment of the Head of the school (Principal/Head Master) .—***

(i) The President of the Society/Trust for institutions managed by society and trust

or

The Chairman of the Managing Committee/governing body for institutions managed by GB

(ii) An Educationist, nominated by trust/society/governing body

(iii) A person nominated by Board as member for Managing Committee.

(iv) A person with experience of school administration nominated by Society/Trust/Governing Body

(v) Principal of a constituent college, nominated by Society/Trust/GB

Provided that among the above 5 members one must belong to SC/ST/OBC and one as female member.

(b) ***For recruitment of teachers and librarian.—***

(i) The President/Chairman of the Society/Trust/governing body.

(ii) The Head of the school (Principal/Head Master).

(iii) A person nominated by Board as member for Managing Committee.

(iv) A subject expert nominated by Society/Trust/governing body

(v) Principal of a constituent college, nominated by Society/Trust/ governing body

Provided that among the above 5 members one must belong to SC/ST/OBC and one as female member.

(c) ***For recruitment of Clerical Staff/Lab. Asstt.—***

(i) The President/Chairman of the Society/Trust/governing body.

(ii) The Head of the school (principal/Head Master).

(iii) Person nominated by Board as member for Managing Committee.

(iv) Principal of a constituent college, nominated by Society/ Trust/governing body Provided that among the above 4 members one must belong to SC/ST/OBC and one as female member.

(d) ***For recruitment of Group 'D' staff.—***

(i) The Head of the School (Principal/Head Master).

(ii) A member of Managing Committee nominated by Society/trust/ governing body

(iii) Member belonging to SC/ST/OBC nominated by the Society/ trust/governing body provided that among the above 3 one member will be necessarily a female mamber.

(5) Quorum in the meeting of the Selection Committee will be one less than number prescribed for the concerned committee but presence of the member nominated by Board for managing committee and of SC/ST/OBC member will be essential.

(6) The Selection Committee shall regulate its own procedure and in the case of any difference of opinion amongst the members of the Selection Committee on any matter, it shall be decided by the trust/society/governing body.

(7) The appointment of every employee of a school shall be made by its Managing Committee/governing body/Adhoc managing committee.

Provided: Where any selection made by the Selection Committee is not acceptable to the managing Committee, the managing committee shall record its reason for such non acceptance and refer the matter to the trust/society/governing body to decide the same.

(8) Employees shall be appointed subject to the provisions of this guideline and they shall have to comply with all the requirements of the provisions contained herein.

4. ***Requirements.—***

(A) **For Senior Secondary Schools.—**Each Senior Secondary school with Secondary classes should have at least 20 teachers including Principal. Out of them -Eight will be Trained Graduate Teachers (TGTs) for Secondary classes-language-2 (two Teachers), Mathematics-1 (one teacher), Natural Science-2 (two teachers), Social Science -1(one teacher), Physical Education-1 (one teacher) and Arts - 1(one teacher). 11 Post-Graduate Teachers (PGTs) for Senior Secondary classes – Language -2(Two teachers), Mathematics -1(one teacher), Natural Science - 3(three teachers – Physics-1, Chemistry-1, Biology(Botany/Zoology)-1), Social Science -2(two teachers), Commerce -2(two teachers) and Computer - 1(one teacher).

Every Senior Secondary School should have five non-teaching staff (technical) which will include Laboratory Technician (three), Computer Assistant (one) and Librarian (one). For administrative work each school will have two non-teaching (others) staff members – Office Assistants. Every Senior Secondary School should have at least four Group 'D' Staff members – Caretaker (one), Office Attendant (two) and Guard (one).

Provided that for senior secondary classes there are 30 and more admissions in any subject and no post has been sanctioned managing committee may sanction post in that subject with prior permission of Bihar School Examination Board and may appoint the teacher as per rules.

(B) ***For Secondary Schools.—***Each Secondary school should have at least 11 teachers including the headmaster. Out of them apart from Headmaster – Ten will be Trained Graduate Teachers (TGTs) – Language (two teachers), Mathematics (one teacher), Natural Science (three teachers – Physics -1, Chemistry-1, Biology (Botany/Zoology)-1), Social Science (one teacher), Physical Education (one teacher), Computer (one teacher), and arts (one teacher).

Every Secondary School should have 4 non-teaching staff (technical) which include laboratory Technician (two), Computer Assistant (one) and Librarian (one). For administrative work each school will have two non-teaching (others) staff members – Office Assistants. Every Secondary School should have at least three Group 'D' Staff members.

(c) ***For Inter colleges with recognitions/recommendation/permission to establish by the erstwhile council (dissolved).—***

For Inter colleges recognised by the Council as per directions of the State Government in the year 1994, in view of notification issued by the Council (dissolved) at each College apart from one post of Principal there shall be one post of teacher each in the recognised subject of Arts and Science and two post in commerce and as per notification, 7 posts of class III of non teaching employee and 8 post of class IV employees will be treated as sanctioned post.

But if in any Inter College teacher had earlier been appointed on the 2nd post on the basis of direction issued earlier or on the basis of number / strength of the students for arts and science subject sanctioned, then the 2nd post on which teacher had been appointed earlier will also be treated as sanctioned.

Such eight subjects which had been deleted and had been included in the original subject by the direction of the State Government, in such original subject if two teachers are already appointed, the third post will also be treated as sanctioned and upon which, the teacher of the deleted subject will be adjusted but with their retirement the third post will be deleted automatically.

Subject recognised by the Council (dissolved) in which practical examination is held, for each recognised subject one post of Laboratory technician will be treated as sanctioned.

Presently at the Intermediate level as per syllabus prescribed, the number of subjects has been reduced but the number of students are increasing and as such adjustment of teaching and non teaching employees appointed at Intermediate colleges earlier and of their posts will be made at the present together with the subject of the curriculum with the post.

On the basis of number of students, and number of teachers working prior to dissolved council, additional posts will be sanctioned in the subject presently being taught with prior permission of Board.

In such recognised college/secondary and senior secondary schools where student in any subject had been deficient continuously for three years, such subjects at such institution will be deleted and the post of teacher of the said subject at such institution will be treated automatically abolished after retirement of the appointed teacher.

5. *Training.—*

(i) All untrained teachers appointed and working from earlier in recognised/affiliated secondary and senior secondary (including intermediate) schools should have to obtain B.Ed qualification within the period of 3 years from the commencement of this guideline.

(ii) Responsibility of training will lies on managing committee/institution.

(iii) Teachers will be entitled for leave with pay for training once.

(iv) Managing committee may appoint teacher purely on temporary basis in place of teacher deputed for training so that teaching of the subject should not be affected.

(v) Teachers may obtain B.Ed. qualification through distance education for institutions recognised by NCTE and for such cases leave with pay will be granted as per requirement.

(vi) All Such teachers who fails to obtain training qualification within the limited time, one more year may be provided to them to complete the training but in case of failure there shall be binding on managing committee to terminate their services.

(Note: All such teachers whose services are left for 3 years or less should be free from mandatory training requirement.)

(vii) Training regarding computer and lab techniques may be orgainsed for 3rd grade employees by managing committee.

case may be, with effect from the date of expiry of the said period provided he/she fulfils the other requisite conditions.

(b) The employee shall be informed of his confirmation within 3 months of the completion of probation period. If the employee has not been informed within 3 months he/she shall be treated as confirmed. Decision regarding confirmation will be taken by the trust/society/governing body.

14. ***Termination of service Due to Abolition of Posts etc.—***

(a) If an employee at any time after confirmation intends to resign he/she will have to give three months notice in writing or three months salary including all allowances to the Managing Committee.

(b) The trust/society/ governing body shall be competent to terminate the services of a confirmed employee only in case of abolition of a post due to closing down of school or a class or reduction in the number of sections of a class or discontinuance of a teaching subject by giving three months notice in writing or three months salary including all allowances.

(c) Society/trust / governing body shall have the power to relax the period of notice or payment of salary in special circumstances.

15. ***Retirement.***—Not withstanding anything contained in these rules or otherwise every employee including Head of institution shall retire from service on attaining the age of superannuation prescribed by the government from time to time. Presently the age of retirement will be 60 years.

16. ***Working Days and Working Hours.—***

(a) The working days and holidays will be as per State Government Shools.

(b) The working hours will be such as may be specified from time to time by the Principal/Head master. Normally the working hours will confirm to the State Government School.

(c) As and when required an employee may be assigned any special duty even if it is to be done beyond normal working hours in the interest of school.

(d) An employee is also required to conduct and organise co-curricular programmes and perform other duties even beyond the normal working hours.

17. ***Maintenance of Record by the Teachers.—*** A Teacher is expected to maintain the following documents and also any other record as may be specified from time to time-

(a) Attendance Register of the class for which he/she is the Class Teacher.

(b) Personal Log Book and Class Log Book, Programme of Instruction and Lesson Plans.

(c) Cumulative result of his class.

(d) Attendance Diary of optional subjects in case of teacher teaching such optional subjects.

(e) Stock Register of properties held by him/her.

(f) CRB (Cumulative Record Book) of the class for which he/she is a class teacher.

(g) Fee collection book of the class.

18. ***Attendance of Employees.—***

(1) Every employee is expected to reach the school punctually and sign the attendance register on arrival before the working of the school begins and also mark the time of departure.

(2) An employee who has not signed the attendance register as above is liable to be considered absent from duty for that date.

19. ***Contributory Provident Fund-Pension Scheme.***—Employee will be required to become members of the Contributory Provident Fund Scheme as required under the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 if adopted by the school managment.

20. ***Representations.—***

(a) Representation to the Managing Committee/governing body/adhoc managing committee. Chairman of the Society or Manager may be made only through Principal/Head Master in case of teachers/other employees.